

**जिला सैनिक कल्याण बोर्ड काँगड़ा स्थित धर्मशाला, के विश्राम गृहनिधि लेखों
का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 04/2013 से 03/2016
भाग-एक**

1 गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :-

जिला सैनिक कल्याण बोर्ड, काँगड़ा स्थित धर्मशाला के विश्राम गृह निधि से सम्बन्धित पुराने पैरों के निपटारे/समायोजन हेतु कोई विशेष प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। इन में से कुछ पैरे गम्भीर प्रकृति के भी सम्मिलित हैं। दीर्घकाल से लम्बित चली आ रही अंकेक्षण आपत्तियों के निपटारे हेतु कोई भी कार्यवाही पूर्ण न करना अपने आप में ही गम्भीर अनियमितता है। अतः यह प्रकरण निदेशक सैनिक कल्याण हिमाचल प्रदेश के विशेष ध्यान में लाया जाता है। वर्तमान अंकेक्षण उपरान्त निपटारे हेतु बकाया पैरों की स्थिति निम्न प्रकार से है :-

(क) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 10/ 76 से 3/ 81

1. पैरा -6(ई) अनिर्णीत

(ख) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/92 से 3/96

1. पैरा -5(7) अनिर्णीत

(ग) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2005 से 3/2008

1. पैरा – 7 अनिर्णीत

(घ)अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2011 से 3/2013 :-

क्रम संख्या	पैरा संख्या	पैरे की स्थिति	टिपणी
1.	पैरा – 6	निर्णीत	पुनः प्रारूपित
2.	पैरा – 7	निर्णीत	कार्यवाही देख ली गई है।
3.	पैरा – 8	निर्णीत	कार्यवाही देख ली गई है।

4.	पैरा – 9	निर्णित	कार्यवाही देख ली गई है।
5.	पैरा -10	आंशिक निर्णित	क्रम सं 4 को छोड़कर कार्यवाही देख ली गई है।
6.	पैरा- 11	निर्णित	कार्यवाही देख ली गई है।
7.	पैरा -12	निर्णित	कार्यवाही देख ली गई है।
8.	पैरा -13	निर्णित	वसूली देख ली गई है।
9.	पैरा -14	निर्णित	कार्यवाही देख ली गई है।
10.	पैरा -15 (क)	निर्णित	कार्यवाही देख ली गई है।
11.	पैरा-15 ख(i)	निर्णित	कार्यवाही देख ली गई है।
12.	पैरा-15ख(ii)	निर्णित	कार्यवाही देख ली गई है।
13.	पैरा -15(ग)	निर्णित	कार्यवाही देख ली गई है।
14.	पैरा-15 घ	अनिर्णित	
15.	पैरा-15 ङ.	निर्णित	कार्यवाही देख ली गई है।
16.	पैरा-16	निर्णित	कार्यवाही देख ली गई है।

भाग -दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

जिला सैनिक कल्याण बोर्ड काँगड़ा स्थित धर्मशाला विश्राम गृह निधि के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के वर्तमान लेखों का अंकेक्षण जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेद में दिए गए हैं, श्री मुकेश कुमार स्नेही , अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 24-3-2017 से 06-04-2017 तक के दौरान कार्यालय परिसर में किया गया। आय व व्यय की विस्तृत जाँच के लिए माह 03/14 ,02/15, व 02/16 तथा माह 03/14,03/15 व 02/16 को चयनित किया गया। अंकेक्षण अवधि के दौरान स्क्वाडन लीडर श्री मनोज राणा , उप निदेशक, जिला सैनिक कल्याण बोर्ड के आहरण एवं वितरण अधिकारी के रूप में कार्य किया।

इस अंकेक्षण प्रतिवेदन को बोर्ड के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग उक्त संस्था द्वारा उपलब्ध करवाई गई किसी भी प्रकार कि गलत सूचना अथवा सूचना जो उपलब्ध

नहीं करवाई गई है, के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। विभाग का उत्तरदायित्व केवल चयनित माह तक ही सीमित है।

3 अंकेक्षण शुल्क:-

जिला सैनिक कल्याण बोर्ड काँगड़ा स्थित धर्मशाला के विश्राम गृह निधि के अवधि

1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखों के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹9000 बनता है। अंकेक्षण शुल्क की उक्त राशि को राजकीय कोष में जमा करवाने हेतु इसे बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला-171009 को भेजने हेतु संस्थाध्यक्ष से अंकेक्षण अधियाचना सं०83 दिनांक 06-04-17 द्वारा अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति :-

जिला सैनिक कल्याण बोर्ड काँगड़ा स्थित धर्मशाला के विश्राम गृह निधि से सम्बन्धित लेखों की वित्तीय स्थिति अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्न प्रकार से पाई गई :-

वर्ष	आरम्भिक शेष	वर्ष में प्राप्त आय	वर्ष में प्राप्त ब्याज	जोड़	व्यय	अन्त शेष
2013-14	3191875.53	2408675.00	119712.00	5720262.53	2801195.00	2919067.53
2014-15	2919067.53	1816838.00	285997.00	5021902.53	1155220.00	3866682.53
2015-16	3866682.53	9180305.00	417145.00	13464132.53	5609599.00	7854533.53

अन्त शेष का विवरण :-

- (i) दिनांक 31-3-16 को SBP के बचत खाता स.55096944857 में जमा राशि ₹4054579.23
- (ii) दिनांक 31-3-16 को निवेशित राशि ₹3800000.00
- कुल जोड़ ₹7854579.23

अन्तर :- ₹7854579.23 - 7854533.53 = ₹45.70 (गत अंकेक्षण प्रतिवेदन अनुसार अधिक जमा)

5 निवेश :- जिला सैनिक कल्याण बोर्ड द्वारा विश्राम गृह निधि से दिनांक 31-3-16 को

₹3800000 सावधि जमा योजना में निवेशित की गई थी। जिसका विवरण परिशिष्ट “क” पर संलग्न है।

6 किराया ₹2.27 लाख की वसूली शेष बारे:-

अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई सूचना इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के संलग्न परिशिष्ट “ख” के अनुसार ₹226535.00 किराये के रूप में दिनांक 31-03-16 को वसूली हेतु शेष थी जिसकी

वसूली करने के लिए नियमानुसार ठोस कार्यवाही शीघ्र की जाए तथा कृत अनुपालना से इस कार्यालय को सूचित किया जाए।

7 विश्राम गृह ज्वाला जी के चौकीदार द्वारा ₹175 कम वसूलने बारे :-

विश्राम गृह ज्वालाजी के माह फरवरी 2014 के किराया प्राप्ति रजिस्टर की जाँच करने

पर पाया गया कि निम्नलिखित विवरणानुसार चौकीदार द्वारा कम वसूले गए है :-

रजिस्टर का क्रम सं	नाम	वसूल राशि	अपेक्षित वसूल	कम वसूली
1574	श्री टी.आर. कुमार डोरमेटरि	50	75	25
1575	श्री हरी ओम कमरा न. -1	150	200	50
1578	श्री सुरमित सिंह कमरा न.-3	100	150	50
1581	श्रीमति रजनी सोनी कमरा न.-1	150	200	50
			कुल	₹175

अतः उक्त कम वसूली राशि को उचित स्रोत से वसूल कर विश्राम गृह निधि में जमा किया

जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए व भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि न दोहराई जाए।

8 विश्राम गृह पालमपुर का किराया रजिस्टर न प्रस्तुत न करने बारे :-

अंकेक्षण के दौरान जाँच में विश्राम गृह पालमपुर के माह 02/14 का किराया प्राप्ति

रजिस्टर अंकेक्षण में आवश्यक जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके अभाव में एकत्रित आय की सत्यता की पुष्टि अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी अतः औचित्य स्पष्ट करते हुए अनुपालना हेतु वांछित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

9 बिजली/पानी बिलों को विलम्ब से जमा करने के फलस्वरूप ₹688 विलम्ब शुल्क का भुगतान करने बारे :-

अंकेक्षण के दौरान जाँच में पाया गया कि विभिन्न विश्राम गृहों द्वारा बिजली के बिलों को

विलम्ब से जमा किया गया है जिसके फलस्वरूप निम्नलिखित विवरणानुसार ₹688 के विलम्ब शुल्क का भी भुगतान किया गया है जोकि अनियमित है।

वा .सं /माह	रोकड़ वही पृष्ठ सं	विश्राम ग्रह	भुगतान की कुल राशि	विलम्ब शुल्क
91 , 03/14	83	पालमपुर	4787	101
93 , 03/14	83	ज्वाला जी	175	3

यथोपरि	83	ज्वाला जी	7464	142
यथोपरि	83	ज्वाला जी	1008 (पानी)	92
95 , 03/14	83	धर्मशाला	2511	46
यथोपरि	83	धर्मशाला	173	3
यथोपरि	83	धर्मशाला	1102	21
88, 03/15	100	ज्वाला जी	9383	179
यथोपरी	100	ज्वाला जी	1109 (पानी)	101
कुल जोड़				₹688

उक्त राशि को उचित स्रोत से वसूल कर विश्राम गृह निधि में जमा किया जाए व
अनुपालना से आगामी लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए।

10 स्टॉक प्रविष्टि न प्रस्तुत करने बारे :-

अंकेक्षण के दौरान जाँच में पाया गया कि निम्न लिखित विवरणानुसार जो सामान खरीदा
गया उसकी स्टॉक प्रविष्टियां अंकेक्षण में आवश्यक जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं की गई जिसके अभाव में
खरीद की पुष्टि अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी अतः स्टॉक प्रविष्टि न करने का औचित्य स्पष्ट
किया जाए तथा वांछित कृत अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

वा सं , माह	रोकड़ वही पृष्ठ	फर्म का नाम	भुगतान की राशि	विवरण
96 , 03/14	84	मै० गिरधारी लाल धर्मशाला	11945	सैनिटरी से सम्बन्धित सामान
92 , 03/15	100	मै० गुप्ता आयरन स्टोर नूरपुर	8806	2000लीटर वाटर टैंक

11 निविदाओं में अनियमितता:-

अंकेक्षण के दौरान जाँच में पाया गया कि निम्नलिखित विवरणानुसार जो खरीद की गई
इनकी खरीद से सम्बन्धित निविदाओं पर दो फर्मों का दूरभाष न० एक ही था -:

वा सं 92 दिनांक 03/15 मै० गुप्ता आयरन स्टोर नूरपुर ₹ 8806/-(पानी का टैंक 2000लीटर)

(1)मै० गुप्ता आयरन स्टोर नूरपुर -:01893 -220273

(2) मै० रवि आयरन स्टोर -: -----यथोपरि-----

(3) मै० गुप्ता हार्डवेयर नूरपुर -: शून्य

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि उक्त वाउचर के अंतर्गत की गई खरीद से सम्बन्धित

निविदाओं पर दो फर्मों का दूरभाष न० एक ही था जिससे प्रतीत होता है कि निविदाओं में

बाजारी प्रतिस्पर्धा का लाभ नहीं उठाया गया है। अतः यह मामला उच्च अधिकारियों के ध्यान में लाया जाता है कि इस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाये तथा यह भी सुनिश्चित किया जाये कि किसी भी प्रकार का अधिक भुगतान नहीं किया गया है इसके अतिरिक्त उक्त अनियमितता को सक्षम अधिकारी कि स्वीकृति से नियमित करवाया जाये।

12 निर्माण कार्यों से सम्बन्धित ₹33.29 लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्रों को जाँच हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना :-

वर्तमान अंकेक्षण अवधि के दौरान सैनिक कल्याण बोर्ड द्वारा विभिन्न कार्यों के निष्पादन हेतु लोक निर्माण विभाग के पास डिपॉजिट वर्क के रूप में राशियाँ जमा करवाई गईं जिनके उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किए गए जिनका विवरण निम्न प्रकार से है। अतः इन राशियों के उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित विभाग से प्राप्त कर आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

क्रम संख्या	कार्य का नाम	ड्राफ्ट सं व दिनांक	राशि
1.	R/R SRH Dharmshala	108179 dt 08-02-16	479150
2.	R/R SRH kangra	108180 dt 10-02-16	886900
3.	R/R SRH Nurpur	108181 dt 10-02-16	1962900
	Total		3328950

- 13. कार्य का नाम :-** Repair of Sainik rest house Jwala mukhi
वा. सं व माह :- 94 माह 03/15
सविदाकार का नाम :- विनोद कुमार
भुगतान की गई राशि :- ₹149000

उक्त निर्माण कार्य की जाँच करने पर पाया कि उक्त निर्माण कार्यों के बिल से संस्था द्वारा आयकर, व बिक्री कर की राशि की कटौती नहीं की गई है जबकि आयकर के अधिनियम की धारा 194C अनुसार 2.24% आयकर व प्रधान सचिव (आबकारी कराधान) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना सं. EXN -F(5)-1/2010- दिनांक 13-08-12 के अनुसार 3% की दर से बिक्रीकर निर्माण कार्यों के लिए सविदाकर से कटौती अपेक्षित थी जिसकी संस्थाध्यक्ष द्वारा उक्त निर्माण कार्य से कटौती नहीं की गई। अतः उक्त निर्माण कार्य के ₹3338 आयकर व

₹4470 बिक्रीकर को उचित स्रोत से वसूल करके सम्बन्धित विभाग को प्रेषित करना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये।

14 लघु- आपत्ति विवरणिका:- यह अलग से जारी नहीं की गई है। इनका स्थल पर निपटारा कर दिया गया।

15 निष्कर्ष:- - लेखाओं के रख-रखाव में सुधार एवं कड़े निरीक्षण की आवश्यकता है।

हस्ता/-
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.
फोन नं0 0177-2620881

पृष्ठांकन संख्या:- फिन(एल0ए0)एच(2)सी (15)(14)20 (ए)/72 खण्ड-8-5615-5618 दिनांक13.09.17
शिमला-171009,

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:-

- पंजीकृत**
- 1 उप निदेशक, जिला सैनिक कल्याण बोर्ड काँगड़ा स्थित धर्मशाला, जिला काँगड़ा हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
 - 2 अवर सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग) हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला-171002
 - 3 निदेशक, राज्य सैनिक कल्याण निदेशालय हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश
 - 4 जिलाधीश काँगड़ा स्थित धर्मशाला, जिला काँगड़ा, हि0प्र0 को सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

हस्ता/-
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.
फोन नं0 0177-2620881